दिनांक 28.05.2019 को अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मो0 हारूण रसीद, माननीय स0वि0प0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या–338/14 पर हुई सुनवाई की कार्यवाही :–

दिनांक 28.05.2019 को अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मो0 हारूण रसीद, माननीय स0वि0प0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या–338/14 पर हुई सुनवाई में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए।

1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा ।
2. कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी(MMGSY), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री अमलेश कुमार, सहायक, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, दैनिक वेतन भोगी रोलर खलासी।

मो0 हारूण रसीद, माननीय स0वि0प0 द्वारा प्रस्तुत निवेदन संख्या–338/14 पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में प्रथम सुनवाई दिनांक 09.04.2019 को की गयी थी, जिसमें श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, दैनिक वेतन भोगी रोलर खलासी से माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का साक्ष्य मांगा गया, परन्तु श्री चौधरी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था। उक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया कि दिनांक 28.05.2019 को होने वाली आगामी सुनवाई में मामलें से संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांक 28.05.2019 को द्वितीय सुनवाई में श्री हरिश्चन्द्र चौधरी, दैनिक वेतन भोगी रोलर खलासी से सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–8640/1998 में न्यायादेश के आलोक में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की साक्ष्य की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा साक्ष्य के रूप में अभ्यावेदन की प्रति न देकर सिर्फ निबंधित डाक से भेजे गये निबंधन रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी ।

इस मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–8640/1998 में दिनांक 25.01.2012 को पारित न्यायादेश में निर्णय दिया गया था कि वादी सक्षम प्राधिकार के पास 6 महीना के अन्दर में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

उक्त क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा द्वारा श्री चौधरी द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन के संबंध में बतलाया गया कि उनके कार्यालय में इनका अभ्यावेदन प्राप्त नहीं है। फलतः श्री हरिश्चन्द्र चौधरी को पुनः एक मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने दावों के संबंध में साक्ष्य सहित अभ्यावेदन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, रोसड़ा को समर्पित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–639 दिनांक 16.03.2006 के कंडिका 3(i) एवं (iii) के आलोक में जॉचकर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

चूँकि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर के रूप में उक्त पद पर किसी पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं रहने के कारण मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना अधीक्षण अभियंता के बदले में उपरोक्त कार्रवाई एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुश्रवण भी करेंगे। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उक्त संकल्प के आलोक में आवश्यकतानुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा करेंगे तथा कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराएगें। उक्त निर्णय के द्वारा इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–
(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

अत्यावश्यक
निबंधित

ज्ञापांकः–09/अ0प्र0–05–05/2015 3988(3) पटना, दिनांक 11, 6·19

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा/समस्तीपुर, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/श्री नलीन कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता सह नोडल पदाधिकारी (MMGSY), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, प्रशाखा–8/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा को निदेशित किया जाता है कि सम्मिलित रूप से मामले के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः– 1. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–8640/1998 में हुए न्याय निर्णय की छायाप्रति।
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–639 दिनांक 16.03.2006 की छायाप्रति।
3. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये निबंधन रसीद की छायाप्रति।

10/6/19

अभियंता प्रमुख

निबंधन सं.पी.टी.–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1928 (श०)

सं० पटना 322) पटना, मंगलवार, 25 अप्रील 2006

सं० 3/एम–30/2005 का०–639

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

16 मार्च 2006

विषय :– राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940, दिनांक 18 जून 1993 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 1 अगस्त 1985 के बाद अनियमित रूप से कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगी व्यक्तियों की ऐसी नियुक्ति रद्द कर दी जाय, सरकारी कार्यालयों में ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जाय और दिनांक 1 अगस्त 1985 के पूर्व से कम–से–कम 240 दिनों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता दी जाय। राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ दिनांक 21 जनवरी 2005 को हुई सहमति के आलोक में राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 489, दिनांक 10 मई 2005 के तहत कट–आफ डेट दिनांक 1 अगस्त 1985 से बढ़ाकर दिनांक 11 दिसम्बर 1990 किया गया और उन्हें नियुक्ति में अधिमानता देने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना बनाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया।

उपर्युक्त समिति द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों, जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक का कार्य किया है को सरकारी सेवा में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति की जायेगी, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(1) जो दैनिक वेतनभोगी 11 दिसम्बर 1990 के पूर्व से कम–से–कम 240 दिनों से कार्यरत हैं या कार्यरत रहे हैं वे नियमितिकरण पर विचार हेतु योग्य होंगे। समूह "ग" के पदों पर कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जायेगी। समूह "घ" में ऐसी नियुक्ति निम्नतम

वेतनमान के पद पर समायोजन के आधार पर की जायेगी। परन्तु सभी मामलों में सिर्फ एक अवसर (One time opportuntiy) दिया जायेगा, जिसमें सफल नहीं रहने पर या रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण समायोजन नहीं होने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प की कंडिका 5 में निहित प्रक्रियानुसार कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

(2) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित नियुक्ति का अवसर देने के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रिया होगी :–

(i) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा में सफल होने पर ही की जायेगी;

(ii) जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जायेगा उसके लिए निर्धारित अर्हता रहना आवश्यक होगा;

(iii) परीक्षा में सफल होने एवं रिक्ति उपलब्ध रहने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों की समायोजन द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रिया होगी :–

(i) किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की नियमित रिक्तियों के विरुद्ध ही उस विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों का समायोजन होगा और समायोजन तुरत के प्रभाव से होगा। किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों को किसी अन्य विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायगा। किसी विभाग के कार्यरत/छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी विभाग के रिक्ति के विरुद्ध, किसी संलग्न कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालय की रिक्ति के विरुद्ध और किसी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी क्षेत्रीय कार्यालय की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन होगा। दैनिक वेतनभोगी के रूप में कम–से–कम 5 वर्षों तक लगातार (प्रत्येक वर्ष कम–से–कम 240 दिनों तक) कार्यरत रहने के आधार पर योग्यता निर्धारित की जायेगी और इस प्रकार योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की वरीयता का निर्धारण उम्र के आधार पर किया जायेगा। ऐसी वरीयता सूची कार्यालयवार होगी।

(ii) उपरोक्त उप–कंडिका (i) में उल्लेखित रिक्तियों के लिए दैनिक वेतनभोगियों को समायोजित करने का एक अवसर देने के लिए विचारार्थ सचिवालय स्तर पर प्रत्येक विभाग में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जायेगी :–

(क) विभागीय सचिव	अध्यक्ष
(ख) सभी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ग) स्थापना समिति में पूर्व से अनु0जाति/जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
(घ) संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी	सदस्य

उक्त समिति विभाग तथा विभाग के अधीन संलग्न कार्यालय/कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुभान्य पदों पर समायोजन द्वारा

नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी।

(iii) इसी प्रकार प्रमंडल स्तर तथा जिला स्तर एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों के लिए निम्नवत समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ख) जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
(ग) जिला नियोजन पदाधिकारी	सदस्य
(घ) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विभिन्न कार्य विभागों के 3 वरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय विकास कार्यों से संबंधित विभागों के 2 पदाधिकारी।	सदस्य

प्रमंडलीय कार्यालय जिस जिला मुख्यालय में अवस्थित होगा उसी जिला की समिति द्वारा उस प्रमंडलीय कार्यालय के लिए रिक्तियों पर विचार कर अनुशंसा की जायेगी। उक्त समिति क्षेत्रीय कार्यालयों आदि से वांछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शर्त्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी।

(iv) इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता वही होगी जो 11 दिसम्बर 1990 (कट–आफ–डेट) को निर्धारित थी। इस संबंध में पत्रांक 3577, दिनांक 25 अप्रील 1997 के अन्तर्गत लागू अर्हताएँ इस हद तक संशोधित समझी जायेंगी।

(v) जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु चयन हो जाता है, तथा वे जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप मैट्रिक प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र देते हैं तो उनकी उम्र का निर्धारण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा और तदनुसार उनकी सेवा पुस्त में जन्मतिथि की प्रविष्टि की जायेगी।

(4) उपर्युक्त कंडिका (1), (2) एवं (3) में निहित आधार, प्रक्रिया एवं शर्त्तों के अध्यधीन, दैनिक वेतनभोगियों को, प्रथमित नियुक्ति की प्रक्रिया के समय सरकारी सेवा में आने के लिए मात्र एक अवसर (One time opportunity) दिया जायेगा। उक्त एक अवसर के बाद प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले या समायोजित नहीं हो सकने वाले दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कार्यमुक्त समझा जायेगा। तत्पश्चात भुगतान नहीं होना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करने की अवधि को किसी प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के अधीन सेवा नहीं माना जायेगा।

(6) समूह 'घ' के मामले में रिक्तियों की गणना वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं. 3110, दिनांक 10 अप्रील 1986 के आलोक में कर ली जाएगी। समूह 'ग' में नियुक्ति तथा समूह 'घ' में समायोजन के पूर्व संबंधित कार्यालयों द्वारा उनके वित्त विभाग के माध्यम से रिक्तियों की संपुष्टि वित्त विभाग से करा ली जाएगी और दिनांक 31 दिसम्बर 2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

3. इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति हेतु यदि उम्र नियुक्ति के लिए चयनित होने के समय निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो तो उन्हें उम्र क्षांति का लाभ देकर नियुक्त किया जा सकेगा।

4. दिनांक 11 दिसम्बर 1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हटा दिया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर तथा तत्संबंधी भुगतान किये जाने पर उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान के वेतन से की जाएगी। साथ ही दैनिक वेतनभोगियों को मजदूरी भुगतान के संबंध में जो विपत्र कोषागार को भेजा जायेगा उसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि दिनांक 11 दिसम्बर 1990 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की मजदूरी भुगतान की राशि प्रस्तुत विपत्र में सम्मिलित नहीं है।

5. यदि किसी विभाग/कार्यालय में रिक्ति नहीं हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को, विशेष परिस्थिति में उनके द्वारा लम्बी अवधि तक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रहे जाने के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर विचार करते हुए उनके द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में पूर्ण किये गए वर्ष (जिस वर्ष में कम–से–कम 240 दिनों तक कार्य किया गया हो) के अनुसार प्रति वर्ष के लिए 15 दिनों का नियमानुसार लागू पारिश्रमिक देकर हटा दिया जायेगा। परन्तु ऐसा पारिश्रमिक 20 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए देय होगा।

6. जिन दैनिक वेतनभोगियों को असंतोषजनक सेवा के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया हो अथवा जो स्वेच्छा से हट गये हों, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

7. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित स्कीम सिर्फ सरकार के विभागों/कार्यालयों के लिए लागू होगी।

8. इस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति/समायोजन का एक अवसर देने हेतु नियुक्ति/समायोजन हेतु एक्वीटेंस रौल के आधार पर योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके विरुद्ध आपत्ति आमंत्रित की जाएगी।

9. उक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रियाओं के एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न कराने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अलग से समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी नियोजनालयों/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

जी० एस० कंग,

मुख्य सचिव, बिहार।

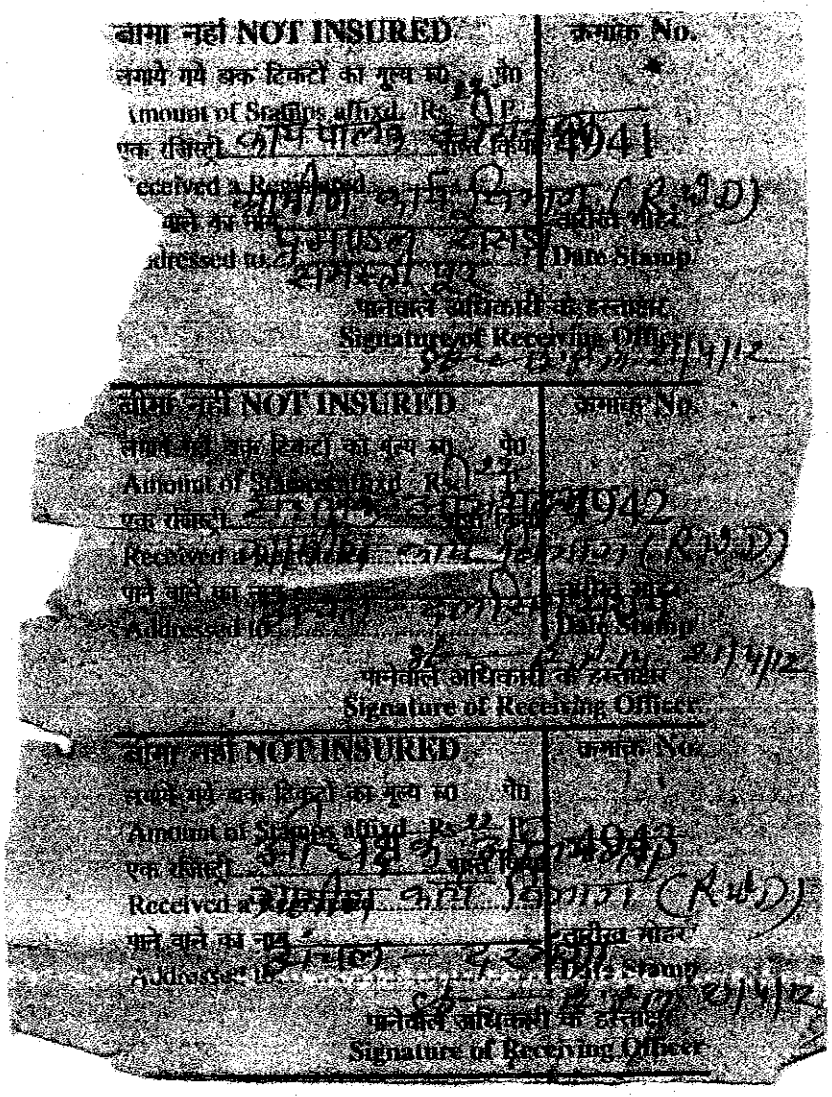

58

बीमा नहीं NOT INSURED | क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० ... पै०
Amount of Stamps affixd. Rs. ... P.

एक रजिस्टरी ... प्राप्त किया 4941
Received a Registered ...

पाने वाले का नाम ... तारीख मोहर
Addressed to ... Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer 2/4/12

बीमा नहीं NOT INSURED | क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० ... पै०
Amount of Stamps affixd. Rs. ... P.

एक रजिस्टरी ... प्राप्त किया 4942
Received a Registered ...

पाने वाले का नाम ... तारीख मोहर
Addressed to ... Date Stamp

2/4/12

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED | क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० ... पै०
Amount of Stamps affixd. Rs. ... P.

एक रजिस्टरी ... प्राप्त किया 4943
Received a Registered ...

पाने वाले का नाम ... तारीख मोहर
Addressed to ... Date Stamp

2/4/12

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.8640 of 1998

Harisinchandra Chaudhary son of late Yadunandan Chaudhary, resident of village-Dadpur, Police Station-Bhagwanpur, District-Begusarai

.... Petitioner

Versus

1. The State Of Bihar.
2. The Superintending Engineer, R.E.O., Darbhanga Circle, Darbhanga.
3. The Executive Engineer, R.E.O., Rosera, Samastipur
4. The Assistant Engineer, R.E.O., Sub-division, Dalsingsarai, District-Samastipur.
5. Jageshwar Poddar
6. Satish Jha
7. Surendra Shukla
8. Satin Jha

Petitioner Nos. 5 to 8, all working as work charge establishment in the office order Executive Engineer, R.E.O., Rosera, District-Samastipur.

.... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. BISHNU KANT DUBEY
Mr. G.K.Agrawal, G.A.-10
For the Respondent/s : Mr. Manoj Kumar Sinha, A.C. to G.A.-10
For the Private Respondent Mr. M.N.Pabat

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SHIVAJI PANDEY
ORAL JUDGMENT
Date: 25-01-2012
(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE SHIVAJI PANDEY)

Shivaji Pandey, J. Heard learned counsel for the petitioner, learned counsels for the State and private respondent No. 5.

2. In this case, the petitioner has stated that he is in service as daily wages employee but he has not been regularized in service. The reason assigned that he does not come under the purview of scheme of the regularization as the scheme of regularization applies only to the persons who were appointed before 1985.

(56)

3. In this case, the petitioner was working on the basis of letter dated 12.9.1986 with effect from 1.3.1986. The Assistant Engineer, Rural Engineering Organisation, Work Division, Samastipur asked permission for regularisation of his service of petitioner but no action was taken.

4. The petitioner had filed a representation before the Superintending Engineer on 7.12.1988 for his appointment in the work charge establishment as daily wages employee. Later on, he also filed a similar representation dated 22.9.1989 before Assistant Engineer. The case of the petitioner is that the similarly situated daily wages employee even his juniors have been recommended for absorption in the work charge establishment but his name left out without considering the grievance of the petitioner. Ultimately the Assistant Engineer again recommended his name to Executive Engineer stating that the petitioner has been working on daily wage basis from 1.3.1986 on the post of Roller Khalasi and his work has been found satisfactory. It has been also pointed out that petitioner has driving license of Road Roller and he is fit to be absorbed. In spite of recommendation by the Controlling Authorities and the higher authorities, he was not brought to the work charge establishment whereas several juniors have been regularised.

5. It has been submitted that the Executive Engineer vide letter no. 800 dated 4.12.1993 stopped the salary of the petitioner and further directed the Assistant Engineer not to take work from the petitioner and the said order was made effective with effect from 1993. It has also been submitted that this order was passed without giving notice to the

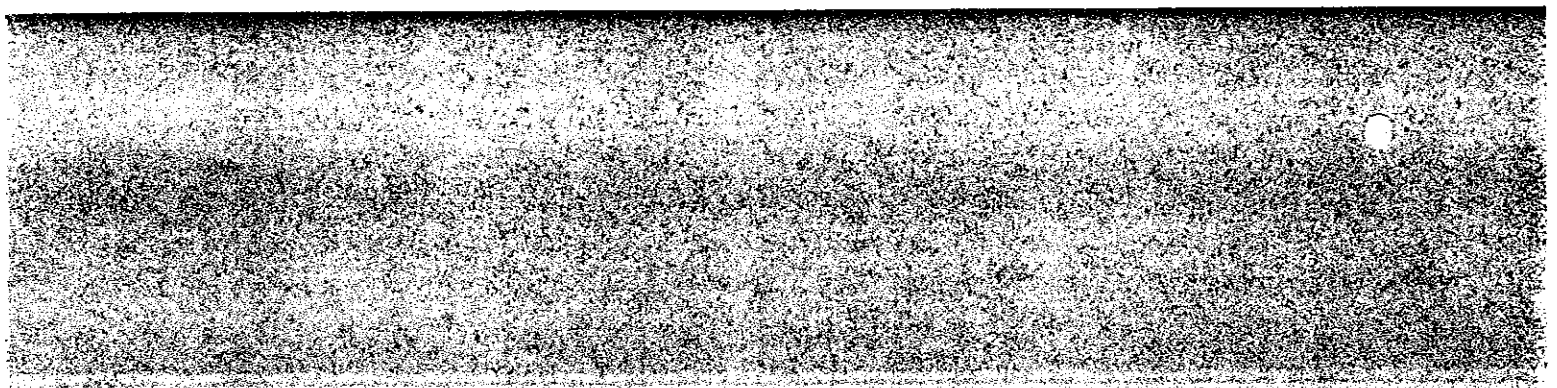

(55)

petitioner which is against to the natural justice and thereafter, the petitioner had filed a writ petition vide C.W.J.C. No. 7309/1994 and that has been decided in favour of the petitioner vide order dated 13.4.1995. The Court has passed the order in favour of the petitioner as the Court had found that the order has been passed in none compliance of Section 25Fof the Industrial Disputes Act, 1947 (herein after mentioned as 'I.D. Act') and has directed that if the petitioner joined the service which should be accepted forthwith and he should be allowed to work and be paid salary accordingly.

6. In pursuance of the order, the petitioner joined the service on 26.4.1995 which was duly received in the office, despite that petitioner was not allowed to join. The Executive Engineer vide letter dated 23.5.1995 following the provision of Section 25F of the Act again terminated service of the petitioner Vide letter dated 23.5.1995 (Annexure-5). The petitioner challenged this order and the same was dismissed as withdrawn with a liberty to file a contempt petition for violation of order passed by this Court and in pursuance thereof a contempt application was filed which was disposed of with a liberty to file another fresh writ petition and accordingly, the petitioner filed another writ petition vide C.W.J.C. No. 2390/1997 (Annexure-10 to the writ petition) and the same was disposed of with the direction to file a representation before the authority concerned and the authority was directed to consider his case.

7. The counsel for the petitioner submits that petitioner had filed

54

a representation in pursuance of the aforesaid direction of this Court but the same is pending. The petitioner also submits that in the course of time, the policy of regularization has changed as the earlier policy with regard to employees engaged before of 1985 but the subsequent policy has been shifted to 1990.

8. It is only observation of this Court that the representation pending before the authority concerned be disposed of in accordance with law.

9. The counsel for the State has contended that relief of regularization cannot be given to petitioner in view of decision rendered in State of Karnataka Vs. Uma Devi reported in 2006 (4) S.C.C. 1.

10. Counsel for the respondent No. 5 submits that the petitioner has no concern with the respondent No. 5 and if any order is passed affecting him, he should also be heard before any order is passed by any authority concerned.

11. According to the petitioner, Uma Devi case has been explained in the case of State of Karnataka Vs. M.L.Keshri case reported in 2010 (9) S.C.C. 247. Petitioner further argued that his representation is pending before the Authority that may be directed to be disposed off.

12. Having considered all the aspects of the matter, in view of the aforesaid submission, the authority is directed to consider the representation of petitioners which is pending before them preferably, within six months from the date of receipt/production of copy of this

(53)

order in accordance with law and after giving notice to the parties.

Sd/-
(Shivaji Pandey, J)

Patna High Court
Dated 25th Jan., 2012
N.A.F.R/Mahesh/-

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
For Joint Registrar (J)
Patna High Court
Authorised U/S 76 Act 1 of 1872

14/2/2012

COPYING SECT

Requisition Number : CWJC/7260/2012				
Date Of Requisition	Stamp Notification Date	Stamp Deposite Date	Date of Copy Ready	Date of Copy Delivered
14-02-2012	14-02-2012	14-02-2012	14-02-2012	

Memo Of Case	
Application Fee for Copy	Rs.0.33
Searching Fee	Rs.1.00
Extra Fee for Urgency	Rs.3.25
Folios Fee	Rs.7.15
Other Items If Any	Rs.0.00
Total	Rs.11.73
XAFDF2BAFX	

The Authentification Fee Payable Under the Court Fee Act .. Rs.2.90

Section Officer
Copying Department

14/2/2012

14/2/2012

PATNA HIGH COURT
PATNA